

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 613]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 नवम्बर 2010—अग्रहायण 8, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्र. एफ-1-11-2010-(एक) 1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में, अनुक्रमांक “बयालीस” तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“बयालीस—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास.”.

(2) अनुसूची में,—

(एक) शीर्षक “बयालीस—तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“बयालीस—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.”.

(दो) इस प्रकार स्थापित शीर्षक “बयालीस—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास” के अधीन भाग (इ) शीर्षक “विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय” में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“2. कौशल विकास संचालनालय.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2010

क्र. एफ-1-11-2010-एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-2010-एक-(1), दिनांक 29 नवम्बर 2010 का हिन्दी का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 29 November, 2010

No. F-1-11-2010-One (1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 2, for serial number "XLII" nad entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

**"XLII—Technical Education and Skill Development."**

2. In the Schedule,—

(i) for the heading "XLII—Technical Education and Training Department", the following heading shall be substituted, namely:—

**"XLII—Technical Education and Skill Development Department."**

(ii) under the heading "XLII—Technical Education and Skill Development" as so substituted, in Part (C) of heading "Directorate and offices coming under the Department", for serial number 2 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

**"2. Directorate of Skill Development"**

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARM, Dy. Secy.